

डिस्कलेमर

आदेश संख्या 07/2021-22 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फाइल संख्या : ऐरा/20010/एमवाईटीपी/सीएचआईएल/सीपी-II/2021-26

आदेश संख्या 07/2021-22



सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चंडीगढ़ (आईएक्ससी), में द्वितीय नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक) के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण के मामले में

जारी करने की तारीख: 20 अगस्त, 2021

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110 003

अध्याय -14 प्राधिकरण के निर्णयों का सार

द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण संबंधी संगत अध्यायों से संबंधित प्राधिकरण के निर्णयों का सारांश पुनः नीचे दिया गया है:

14.1 प्रथम नियंत्रण अवधि का टूअप

- 14.1.1 टूअप के लिए तालिका 5 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वास्तविक यातायात को मानना।
- 14.1.2 वैमानिक सेवा प्रदाताओं को दिए गए स्थान से प्राप्त किराए को वैमानिक स्वरूप का मानना और तदनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए उपर्युक्त तालिका 9 में बताए अनुसार वैमानिक राजस्व को मानना।
- 14.1.3 प्रथम नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए तालिका 26 में बताए अनुसार आरएबी पर मूल्यहास को मानना।
- 14.1.4 प्रथम नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए तालिका 29 में बताए अनुसार औसत आरएबी को मानना।
- 14.1.5 प्रथम नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए पैरा सं. 2.8.5 के अनुसार एफआरओआर को मानना।
- 14.1.6 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 37 के अनुसार प्रचालन खर्च को मानना।
- 14.1.7 प्रथम नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए तालिका 41 के अनुसार गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।
- 14.1.8 प्रथम नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए तालिका 43 के अनुसार कर प्रतिपूर्ति को मानना।
- 14.1.9 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए उपर्युक्त तालिका 45 के अनुसार कमी को मानना जिसे द्वितीय नियंत्रण अवधि में समायोजित किया जाना है।

14.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

- 14.2.1 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कोविड-19 महामारी के प्रभाव को ध्यान में रखकर तालिका 48 में दिए अनुसार यातायात को मानना।
- 14.2.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि की वास्तविक संख्या के आधार पर यातायात को टूअप करना।

14.3. द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए विनियामक परिसंपत्ति आधार और मूल्यहास

- 14.3.1 तालिका 55 और तालिका 65 के अनुसार आरएबी के परिवर्द्धन को मानना।
- 14.3.2 तालिका 59 और 66 के अनुसार वैमानिक परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को मानना।
- 14.3.3 तालिका 67 के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।
- 14.3.4 उचित मूल्यांकन और विश्लेषण के बाद तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण करते समय आरएबी के परिवर्द्धनों, मूल्यहास और औसत आरएबी को टूअप करना।
- 14.3.5 प्रस्तावित समय-सीमा के अनुसार परियोजना का अनुपालन न होने की स्थिति में तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय 1% तक परियोजना लागत और लक्ष्य राजस्व में लागू रखाव लागत को पुनः समायोजित करना (पैरा 4.3.7)।

14.4 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए भूमि पर प्रतिलाभ

- 14.4.1 तालिका 70 के अनुसार भूमि पर प्रतिलाभ का परिकलन करने के प्रयोजन से भूमि के उपयोग को मानना।
- 14.4.2 पैरा 5.2.7 के अनुसार भूमि की लागत को मानना।
- 14.4.3 एआई द्वारा प्राप्त किए गए ऋण की लागत के आधार पर भूमि पर प्रतिलाभ का परिकलन करने के लिए 6.21% की दर को मानना।
- 14.4.4 तालिका 71 के अनुसार भूमि की लागत पर प्रतिलाभ को मानना।

द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर

- 14.5.1 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए यह ध्यान में रखते हुए 14% को प्रतिलाभ की उचित दर मानना कि यह नियंत्रण अवधि के दौरान आरएबी के प्रस्तावित परिवर्द्धनों के लिए निधि की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त आंतरिक उपज होगी। लेकिन सीएचआईएल को निधि जुटाने वाले कार्यक्षम साधनों का मूल्यांकन करने की सलाह दी जाती है।
- 14.5.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक टैरिफ का निर्धारण करते समय निर्धारित किए अनुसार वास्तविक ऋण-इक्विटी अनुपात और ऋण की लागत तथा इक्विटी के आधार पर एफआरओआर को टूअप करना।

14.6 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन खर्च

- 14.6.1 सार्वजनिक क्षेत्र के रख-रखाव और बिजली तथा पानी के प्रभारों को गैर-वैमानिक राजस्व न मानकर इन्हें प्रचालन व्यय से घटाना।
- 14.6.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए उपर्युक्त तालिका 83 (कार्गो प्रचालन खर्च तथा समायोजित मुद्रा-स्फीति दर सहित) में बताए अनुसार प्रचालन और अनुरक्षण व्यय को मानना।
- 14.6.3 तालिका 78 में दी गई सूची के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए निर्धारित लागत पृथक्करण अनुपातों को मानना।
- 14.6.4 वहन की गई लागतों के औचित्य का मूल्यांकन करने के बाद अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन और अनुरक्षण व्यय (कार्गो प्रचालनों के प्रचालन खर्च सहित) को टूअप करना।

14.7 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर वैमानिक राजस्व

- 14.7.1 वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए आकलन तैयार करते समय ब्याज की आय और विविध आय को मानना लेकिन अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय इसे टूअप करना।
- 14.7.2 सार्वजनिक क्षेत्र के रख-रखाव और बिजली तथा पानी संबंधी प्रभारों को गैर-वैमानिक राजस्व न मानकर इन्हें प्रचालन व्यय से समायोजित करना।
- 14.7.3 उपर्युक्त तालिका 89 में निर्धारित किए अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व न मानकर को मानना।
- 14.7.4 वैमानिक सेवा प्रदाताओं से प्राप्त किरायों को वैमानिक राजस्व मानना।
- 14.7.5 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वर्तमान नियंत्रण अवधि के गैर- वैमानिक राजस्व को टूअप करना।

14.8 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

- 14.8.1 तालिका 95 के अनुसार कर पूर्व वैमानिक लाभ पर प्रभावी कर दर और एमएटी लगाकर द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक करों को मानना।
- 14.8.2 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात के अभिकलन में नियंत्रण अवधि के अंत में वास्तविक संख्या के आधार पर कर के अनुमानित आंकड़ों को टूअप करना।

14.9 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

- 14.9.1 यथा लागू प्रचालन व्यय और राजस्व की विभिन्न मदों की घट-बढ़ की दरों का आकलन करने में द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वृहत आर्थिक संकेतकों-राउंड 69 संबंधी व्यावसायिक पूर्वानुमानों के सर्वेक्षण के परिणाम (देखें पैरा 10.4.2) के आधार पर 4.9% डब्ल्यूपीआई मुद्रा-स्फीति को मानना।

14.10 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

- 14.10.1 सेवा की गुणवत्ता के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के लिए किसी भी समायोजन को नहीं मानना (देखें पैरा 11.2.3)।

14.11 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व

- 14.11.1 निगरानी घंटों को बढ़ाने तथा नॉन-शेड्यूल एटीएम के संचालन प्रभार से होने वाले राजस्व को नहीं मानना।

- 14.11.2 वैमानिक सेवा से होने वाले राजस्व के भाग के रूप में तालिका 53 में प्रस्तुत द्वितीय नियंत्रण अवधि के वित्त वर्ष 2022 में आरएबी के भाग के रूप में पूंजीकृत और जोड़ी गई परिसंपत्ति से नई सुविधा से प्राप्त आय को मानना।
- 14.11.3 तालिका 99 में सीएचआईएल द्वारा प्रस्तावित यूडीएफ प्रभारों को मानना।
- 14.11.4 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक यातायात का निर्धारण करने के लिए तालिका 102 में निर्धारित किए अनुसार वैमानिक राजस्व को मानना।
- 14.11.5 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात का निर्धारण करते समय द्वितीय नियंत्रण अवधि की वास्तविक संख्या के आधार पर वैमानिक राजस्व को टू-अप करना।

14.12 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और लक्ष्य राजस्व

- 14.12.1 तालिका 105 में दिए गए विवरण के अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा और कमी निर्धारित करना।
- 14.12.2 सभी बिल्डिंग ब्लॉकों का टूअप अगली नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण में वास्तविक आधार पर माना जाएगा।

अध्याय-15 आदेश

- 15.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर प्राधिकरण एतद्वारा आदेश के संलग्नक-I में दर्शाए अनुसार द्वितीय नियंत्रण अवधि (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक) के लिए चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चंडीगढ़ में लगाई जाने वाली वैमानिक टैरिफ निर्धारित करता है।
- 15.1.2 वायुयान नियम, 1937 के नियम, 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतद्वारा वर्तमान नियंत्रण अवधि के लिए आदेश के संलग्नक 1 के दर कार्ड में इंगित किए अनुसार यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।
- 15.1.3 यह टैरिफ आदेश 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होगा।
- 15.1.4 इसमें निर्धारित टैरिफ, करें, यदि कोई हो, को छोड़कर उच्चतम दें हैं।
- 15.1.5 सीएचआईएल प्राधिकरण के विनियामक दिशा-निर्देश, 2011 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए अपना एमवाईटीपी प्रस्ताव प्राधिकरण को ठीक समय पर पेश करेगी।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

कर्नल मनु सूदन
सचिव, ऐरा

सेवामें,
श्री अजय कुमार,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
न्यू सिविल एयर टर्मिनल, झुरहेरी,
मोहाली, पंजाब -140306

प्रतिलिपि,

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय
राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110 003
2. नागर विमानन महानिदेशालय, एआईसी जारी करने के लिए